

भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति : एक विवेचना

डॉ० रघुनाथ प्रसाद
इनई, सारण (बिहार)

ईश्वर यदि प्रकाशपुंज है तो नारी उसकी किरण है, जो प्रकाश को चारों ओर बिखेर देती है' अथवा 'यदि ईश्वर शब्द है तो नारी उसका अर्थ है' जैसी उक्तियाँ नारी के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। वहीं दूसरी ओर नारी के पालन-पोषण को पड़ोसी के पौधे को सींचने के समान बताया गया है, उसे मात्र एक आर्थिक उत्तरदायित्व माना गया है। मानव समाज का इतिहास महिलाओं को सत्ता, प्रभुता एवं शक्ति से दूर रखने का इतिहास है और इसलिये प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न आने देने की संरचनात्मक व सांस्कृतिक बाध्यताएँ बनायी गयी है।

समाजवादी विचारक डॉ० राममनोहर लोहिया का कहना था कि यदि आपको किसी देश या समाज के इतिहास का अध्ययन करना है तो आपको यह देखना होगा कि उसने अपने यहाँ नारी तथा शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया है। इसी पंक्ति के आधार पर जब हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, तो ज्ञात होता है कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में पूजनीय महिलाओं को यहाँ प्रारम्भ से सम्मानित स्थान दिया गया है।

भारतीय समाज में प्रत्येक काल में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं रही, वरन् परिस्थितिवश उनमें कई परिवर्तन हुए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय अग्रांकित है – प्रागैतिहासिक काल में महिलाओं में मानव ने सभ्यता का कोई पाठ नहीं सीखा था। स्त्री वीर पुरुष की अनुगामिनी होने को विवश थी। इस समय स्त्रियों की दशा वास्तव में सोचनीय थी। यौन निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तरवैदिक काल से भारत में आर्य-अनार्य, यवन, शक, कुषाण, हुण आदि अनेक जातियों के लोग भारतीय समाज समाहित होने लगे थे और वे सभी हिन्दू धर्म में समा गये। जिससे भारतीय संस्कृति में अपमिश्रण हुआ और विकृतियाँ आयीं। अनुलोम विवाह और बहुविवाह के कारण अनार्य स्त्रियाँ भी आर्य परिवारों में प्रविष्ट हुईं। इन अनार्य नारियों ने अपने संस्कार तथा संस्कृति के अनुसार स्वच्छन्द आचरण किया, जिससे सम्पूर्ण स्त्री जाति बदनाम हुई। धर्मशास्त्रों में स्त्री-निन्दा इसी का परिणाम प्रतीत होता है। मौर्यकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि ऊँचे परिवारों की तथा आश्रमों में रहने वाली कन्याएँ प्राचीन इतिहास तथा परम्परा का अध्ययन करती थीं। उन्हें इतनी उच्च शिक्षा दी जाती थी कि वे न केवल श्लोक समझ सकती थीं बल्कि उनकी रचना भी कर लेती थीं। ऊँचे

परिवारों की कन्याएँ प्रायः गायन व नृत्य आदि में शिक्षा लिया करती थीं। कन्याओं की शिक्षा के लिए सम्भवतः नियमित संस्थाएँ नहीं होंगी, ऐसा प्रतीत होता है। अमरकोश में कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ है—अध्यापिकाएँ तथा वैदिक मंत्रों की आचार्याएँ। उपयुक्त उल्लेखों से प्रतीत होता है कि मौर्यकालीन समाज में ब्रह्मवादिनी जैसी स्त्रियाँ विद्यमान थीं।

स्वच्छन्दता के कारण रिश्ते-नातों की कोई परिभाषा नहीं थी। केवल माँ ही बतला सकती थी, कि उसके बच्चे का पिता कौन है? पुरुष यौन सम्बन्धों के लिए किसी भी रिश्ते की सीमाओं में नहीं था। नारी पुरुष के अधीन एवं उसकी मनमानी सहन करने को मजबूर थी। वास्तव में इस समय मानव एवं पशु में कोई फर्क नहीं था। दोनों ही पेट के लिए जीते थे, पेट के लिए मरते थे। इस काल में महिलाओं की दशा में ऐसा कोई उज्ज्वल बिन्दु नहीं दिखता है, जिसके आलोक से नारी आलोकित हो सके।

सिन्धु सभ्यता युग में महिलाओं की इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि पूर्व आर्य युग में महिलाएँ समाज में एक विशिष्ट स्थान रखती थीं। सिन्धु सभ्यता में स्त्री रूपों को ही पूजा जाता था। यहाँ से प्राप्त उत्खननों से यह प्रमाणित होता है कि सिन्धु समाज मातृसत्तात्मक था और राज्य व सम्पत्ति का उत्तराधिकार कन्याओं को मिलता था। आधुनिक केरल राज्य में मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है, जिससे यही धारणा पुष्ट होती है कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले श्रेष्ठ थी।

वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति सिन्धु सभ्यता के विलोप के बाद 1500 ई०पू० के आस-पास भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई और फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी लिखे गए। इन वेदों से तत्कालीन जीवनपद्धति से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त होते हैं। वेद, उपनिषद, पुराणों के अध्ययन के आधार पर इतिहासकारों ने वैदिक युग को महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में स्वर्ण युग कहा है क्योंकि यहाँ पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद पुत्र और पुत्रियों को समान अवसर व समान सुविधाएँ दी जाती थीं। परिवार के सभी कार्यों और निर्णयों में पत्नी को समान अधिकार था। पारिवारिक यज्ञों में भी पत्नी का क्रियात्मक सहयोग रहता था।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की गरिमा धूमिल होने लगी। स्त्रियों का सभाओं एवं परिषदों में प्रवेश वर्जित हो

गया। पुत्र जन्म हर्षोल्लास से मनाया जाता था और कन्या का जन्म अभाग्य का सूचक माना जाता था। बहुपत्नी विवाह प्रथा ने स्त्रियों की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुँचायी। 'ऐतरेय' उपनिषद् में स्त्रियों को शत्रु से भी नीचा बतलाया गया। इसके बावजूद भी समाज में माता का पद सम्मानित था। सम्मान की यह विशेष भावना ही इस युग की संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। डॉ० वेणु प्रसाद का विचार है, कि इस युग में विधवा विवाह की शुरुआत हो चुकी थी। 'बृहदारण्यक' उपनिषद् में उन स्त्रियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है, जो आवश्यकता के समय अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती थीं, परन्तु फिर भी इस समय नारी केवल पति पूजा तक ही सीमित थी और नारी का एक ही गुण था पतिव्रता होना।

वैदिक युग के बाद ई०पू० 600 से 300 ई०पू० के कालखण्ड को क्रान्तियुग की संज्ञा दी जाती है। इसी समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और मनु ने मनुस्मृति की रचना की जिसमें कहीं भी महिला शिक्षा का जिक्र नहीं किया गया। इसी समय हिन्दू समाज में संस्कार व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें महिलाओं को दायम दर्जे का नागरिक माना जाता था। उनकी वर स्वयं चुनने की आजादी छीन ली गयी। बाल विवाह की कुप्रथा अस्तित्व में आयी, सम्पत्ति पर महिलाओं के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस समय तक महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गयी और इसकी बाद आए गुप्ता युग में स्त्रियों की स्थिति में और भी अधिक दासत्व आ गया था। इस समय विधवा पुनर्विवाह पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया, साथ ही सती और जौहर प्रथा भी अस्तित्व में आयी।

स्मृतिकाल में आकर स्त्री की स्थिति में और गिरावट आयी। वह केवल माता के रूप में आदर की पात्र रह गयी। एक स्त्री, पत्नी और प्रेयसी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा न रही। स्मृतिकारों ने स्त्री के सब अधिकारों का अपहरण कर लिया। मनु ने एक ओर लिखा है कि जिस घर में नारी का आदर होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं: दूसरी ओर उसे जन्म से मृत्यु तक पुरुष के आश्रय में रखा और आचार संहिता के रूप में अनेकानेक बन्धनों से जकड़ दिया।

मध्ययुग में महिलाओं की स्थिति जब भारतीय महिलाओं का सौन्दर्य आक्रमणकारियों के हरम में रौंदा जा रहा था। उनकी अस्मिता पुरुषों के कदमों तले रौंदी जाने लगी थी। स्त्री अपने महिमामयी सिंहासन से गिरकर विलास की

एक सामग्री के रूप में प्रस्तुत हो चुकी थी। जीवन का हर क्षेत्र इस समय महिलाओं के लिए वर्जित था। उसके सामान्य अधिकार विलुप्त हो गये थे। उन्हें मात्र पत्नी के रूप में जीने का अधिकार था। बेमल विवाह बहुतायत में होने से विधवाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। महिलाओं की दुनिया घर की चहारदीवारी तक ही सीमित थी। अतः इस युग में महिलाएँ शापित जीवन जीने को मजबूर थीं। न उनका सम्मान था, न ही उनका सतीत्व सुरक्षित था। वे मात्र भोग की वस्तु बनकर रही गयी थीं। महिलाओं की बिक्री इस युग की ही देन थी। नैतिकता केवल किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गयी थी। हर सुन्दर लड़की हरम की चहारदीवारी के बीच दफन कर दी गयी।

मुगलकाल में स्त्रियों की स्थिति और दयनीय हो गयी। महिला शिक्षा पूरी तरह से समाप्त कर दी गयी। पर्दाप्रथा सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दी गयी। सती प्रथा अपने चरम पर पहुँच गयी और मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए 4-5 वर्ष की कन्याओं का भी विवाह कर दिया जाता था। इस काल में महिलाओं की आजादी छीन कर गृहस्थी को ही उनकी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बना दिया गया। सम्पत्ति के मामले में अवश्य मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। यदि पुत्र न हो तो सम्पत्ति का उत्तराधिकार कन्याओं को मिलने लगा था और पति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को। परन्तु सम्पत्ति के मामले में अभी भी महिलाओं पर कई अंकुश थे। महिलाएँ सम्पत्ति का उपयोग तो कर सकती थी, लेकिन उसे बेच नहीं सकती थीं। इस काल में शासन क्षेत्र में रजिया बेगम, चाँद बीबी, तारा बाई, अहिल्याबाई होल्कर के नाम भी इसी बीच में चमके। जहाँ तक सामान्य नारी का प्रश्न है, उनकी स्थिति प्रायः पुरुष के अधीन ही रही। इस प्रकार मुगलकाल महिलाओं के लिए अन्धकार युग साबित हुआ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही भारतियों महिलायें प्रत्येक समय में अनेक संकटों से जुझते हुए भी अपने अस्तित्व को बचा कर रखती रही। वह सिर्फ पुरुष की सहधर्मिणी ही नहीं बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली समाज को आगे बढ़ाने वाली, शक्ति स्वरूप थी एवं सदैव रहेंगी, मार्ग में आने वाली बाधाएँ भी उन्हें रोक नहीं सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. आमटे प्रभा, : भारतीय समाज में नारी, जयपुर 1996, पृ 15.
2. डॉ०, वी.एस. भार्गव : प्राचीन भारत : इतिहास एवं विचार, दिल्ली, 1972, पृ 65.
3. डॉ० राजकुमार : नारी शोषण : समस्याएँ एवं समाधान, दिल्ली, 2003, पृ 01.
4. तिवारी आर.पी. एवं शुक्ला पी.पी : भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान, नई दिल्ली, 2000, पृ. 13.
5. आर. शरण : भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, दिल्ली, 2002, पृ. 68-69.
6. जयशंकर मिश्र: प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार, 1974, पृ. 413.

-
7. डॉ. अर्चना बिश्नोई : रामायण में नारी, दिल्ली, 2002, पृ. 154-155.
8. नेमिशरण मित्तल : प्राचीन समाचार, दिल्ली, 1988, पृ. 280.